संख्या-26/2025/पी-155/अड़तीस-7-2025/ई-38-7099(99)/5/2025

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक-07 मई, 2025**

विषय-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/मानदेय/सेवाशर्तों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5992/ए-48/यूपीआरआरडीए/2025, दिनांक 21.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को सर्विस प्रोवाइडर/आउटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध किये जाने हेतु उनके मानदेय, योग्यता एवं सेवाशर्तों में संशोधन किये जाने विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-13/2025/पी-81/अड़तीस-7-2025/ई-38-7099(99)/5/2025, दिनांक 20.03.2025 में जी0आई0एस0 नोडल ऑफिसर एवं जी0आई0एस0 कन्सल्टेन्ट के पदों हेतु उनके मानदेय, योग्यता एवं सेवाशर्तों में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-13/2025/पी-81/अड़तीस-7-2025/ई-38-7099(99)/5/2025, दिनांक 20.03.2025 के प्रस्तर-2 की सारणी के पंक्ति संख्या-14 में अंकित पदों हेतु पदनाम/प्रस्तावित मानदेय/योग्यता में संशोधन किये जाने हेतु पंक्ति-14 को निम्नानुसार प्रति स्थापित किया जाता किया जाता है:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	आउटसोर्स हेतु वर्तमान मानदेय (रू0 में)	आउटसोर्स हेतु प्रस्तावित मानदेय (रू0 में)	आउटसोर्स हेतु योग्यता
1	2	3	4	5	6
14(1)	जी0आई0एस0 नोडल ऑफिसर	1	60000.00	70000.00	B.Tech & GIS software diploma एवं 10 वर्ष का शासकीय विभाग में कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

					करने का अनुभव।
14(2)	जी0आई0एस0 कन्सल्टेन्ट	1	60000.00	70000.00	B.Sc in Information Technology/Post Graduate Diploma in Remote Sensing & GIS एवं 10 वर्ष का शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।

3- शासनादेश दिनांक 20.03.2025 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4- शासनादेश दिनांक 20.03.2025 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

संख्याः-26/2025/पी-155(1)/अड़तीस-7-2025/ई-38-7099(99)/5/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।